राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–5213/2022

मधु चौहान

–अपीलार्थी

बनाम

1. अति.निदेशक (प्रशा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अति. निदेशक (प्रशा.), पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अधीक्षक, जनाना अस्पताल, चांदपोल, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री/श्रीमती जैरी वर्गीस, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत है। पूर्व में अपीलार्थी को वर्ष 2005 में जनाना अस्पताल, जयपुर में लगाया गया था, उसके पश्चात अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चित्तौडा, फागी, जयपुर में किया गया था। आदेश दिनांक 09.04.2021 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पुनः जनाना अस्पताल, जयपुर में किया गया, तब से अपीलार्थी जनाना अस्पताल, जयपुर में ही कार्यरत है एवं अपने मूल पद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर ही कार्य कर रही है। उनका तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 15.06.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पीएचसी, खानवास, दौसा में किया गया है, जो विधि विरूद्ध तरीके से किया गया है, क्योंकि उक्त आदेश में अपीलार्थी को अधिशेष होना दर्शाया गया है, जबकि अपीलार्थी अधिशेष नहीं है। इसके पश्चात अधीक्षक, जनाना अस्पताल, जयपुर द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त करने का आदेश दिनांक 22.06.2022 को पारित किया गया है, जिसमें अपीलार्थी का नवीन पदस्थापन स्थान पीएचसी, खवारावजी, दौसा दर्शाया गया है,

जबकि आलोच्य आदेश दिनांक 15.06.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पीएचसी, खानवास दौसा में किया गया है। ऐसे में बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है। उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.06.2022 व 22.06.2022 (अनुलग्नक–3 एवं 4) की क्रियान्विति को स्थगित किया जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी वर्तमान में जनाना अस्पताल, जयपुर में अधिशेष है और उसे एसटीए पद के विरूद्ध लगाया हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को सही प्रकार से अधिशेष माना गया है। उनका तर्क है कि कार्यमुक्ति आदेश में त्रुटिवश खानवास के स्थान पर खवारावजी अंकित हो गया है, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 23.06.2022 को अधीक्षक, जनाना अस्पताल, जयपुर द्वारा संशोधित आदेश जारी किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है, जिसे खारिज किया जावे।

4. हमने विद्वान् अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

5. आलोच्य आदेश दिनांक 15.06.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए उसका स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का जनाना अस्पताल, जयपुर में सर्वप्रथम पदस्थापन दिनांक 28.06.2008 के आदेश से किया गया था। इसके पश्चात अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चित्तोडा फागी जयपुर में किया गया। इसके बाद अपीलार्थी का पुनः स्थानान्तरण जनाना अस्पताल, जयपुर में समकक्ष उच्च पद पर किया गया, जो आदेश दिनांक 09.04.2021 (अनुलग्नक–1) पत्रावली पर उपलब्ध है, से स्पष्ट है। उक्त आदेश से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का पदस्थापन समकक्ष/उच्च रिक्त पद के विरूद्ध किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में एसटीए के पद के विरूद्ध कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी को जनाना अस्पताल, जयपुर में अधिशेष होना प्रकट होता है। जहां तक आदेश दिनांक 22.06.2022 (अनुलग्नक–4) में नवीन पदस्थापन

में त्रुटि होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 23.06.2022 को संशोधन आदेश पारित किया जा चुका है।

6. ऐसी स्थिति में आलोच्य स्थानान्तरण एवं कार्यमुक्ति आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि एवं नियम विरूद्धता दर्शित नहीं है एवं अधिकरण के स्तर पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।
7. अतः अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)